By Speed Post

भारत सरकार

Government of India

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

National Commission for Scheduled Tribes

6th floor, 'B' Wing, Loknayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003.

File No. Tour Report/12/VC(UP)/2018/RU-I

Dated: 02/01/2019

To

1. The Principal Secretary,
Revenue Department
Govt. of Uttar Pradesh,
Bapu Bhawan, Ist Floor,
U.P. Secretariat,
Lucknow – 226001.
Tel: 0522-2238020.
Fax: 0522-2239086.
Email: psrevenuedeptup@gmail.com

2. The Principal Secretary,
Social Welfare Department,
Govt. of Uttar Pradesh,
U.P. Secretariat,
Lucknow – 226001.
Tel: 0522-2238083.
Email: pr.sec.sw@dirsamajkalyan.in

Sub: Problems faced by Scheduled Tribes person for getting ST certificates in the Districts of Mau, Kushinagar and Chandauli, (Uttar Pradesh).

Sir,

I am directed to refer to the subject cited above and to enclose a copy of the minutes of Sitting held at Lucknow on 29/11/2018 at 3:00 P.M. under the Chairmanship of Dr. Nand Kumar Sai, Hon'ble Chairperson, National Commission for Scheduled Tribes, New Delhi in the matter, for perusal and appropriate action.

It is, requested that action taken on the suggestions / recommendations of the Commission may please be sent to the NCST.

Yours faithfully,

(राजेश्वर कुमार)
सहायक निदेशक
Tel: 011-24641640.

Copy for necessary action to:

1. The District Magistrate,
District – Chandauli,
(Uttar Pradesh).
Tel: 05412-262557.
Email: dmchn@nic.in

2. The District Magistrate,
District – Kushinagar,
(Uttar Pradesh).
Tel: 05564-240203.

3. The District Magistrate,
District – Mau,
(Uttar Pradesh),
Tel: 0547-2220233.
Fax: 0547-2223645.
Email: dmmau@nic.in

4. The District Magistrate,
District- Ballia,
(Uttar Pradesh)
E-Mail: dmbal@nic.in

Copy for information to:

The Chief Secretary,
Govt. of Uttar Pradesh,
Secretariat,
Lucknow, (Uttar Pradesh).

Copy to:

Shri Arvind Kumar Gond,
National President,
Dalit Aadivasi Jeevan Jyoti Foundation,
B-13/9, Janta Flats, Sector – 71,
NOIDA – 201307.
(Uttar Pradesh).

Copy for information to:

1. PS to Hon'ble Chairperson, NCST
2. PS to Hon'ble Vice-Chairperson, NCST
3. NIC (for hosting on Commission's website).

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

File No. Tour Report/12/VC(UP)/2018/RU-I

उत्तर प्रदेश राज्य के कुशीनगर, चंदौली, मऊ, बलिया तथा अन्य जिलों में अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र बनाने के लिए अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है के संबंध में श्री नन्द कुमार साय, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में लखनऊ, उत्तर प्रदेश राज्य के संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक।

बैठक की तिथि : 29.11.2018 को 3:00 बजे

बैठक का स्थान : लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

बैठक में भाग लेने वालों की सूची अनुबंध में है।

उत्तर प्रदेश राज्य के राजकीय प्रवासों के दौरान अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं के बारे में माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा विचार विमर्श किया गया। प्रवासों के दौरान यह बात सामने आयी कि उत्तर प्रदेश के राज्य के कुशीनगर, चंदौली, मऊ एवं जिलों में अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जनजातीय वर्ग के व्यक्तियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि जनजातीय वर्ग के लोगों के पास मौजूद दस्तावेज़ फसली वर्ष, परिवार रजिस्टर एवं अन्य शासकीय दस्तावेजों में अनुसूचित जनजाति अंकित है इसके बावजूद उत्तर प्रदेश एवं जिला प्रशासन द्वारा अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जा रहे है। माननीय अधयक्ष, अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण पर विचार विमर्श करने के लिए प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, जिला अधिकारी, जिला–चंदौली, जिला अधिकारी, जिला–कुशीनगर एवं जिला अधिकारी, जिला–मऊ तथा अध्यक्ष, दलित आदिवासी जीवन ज्योति फाउंडेशन, नोएडा को दिनाँक 18.07.2018 को बैठक में बुलाया गया था।

Nand Kumar Sai
Chairperson
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India
New Delhi

अनुसूचित जातियाँ एवं अनुसूचित जनजातियाँ आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 (संख्या 1976 का 108) दिनाँक 18.09.1976 जो भारत के राजपत्र में दिनाँक 20.09.1976 को प्रकाशित है के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में गोंड अनुसूचित जातियों की सूची में क्रमांक 36 पर अंकित है। इसी क्रम में अनुसूचित जातियाँ एवं अनुसूचित जनजातियाँ आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002 (संख्या 2003 का 10) दिनाँक 07.01.2003 जो भारत के राजपत्र में प्रकाशित है के अनुसार 'गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड (महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्ज़ापुर एवं सोनभद्र जिलों में)' क्षेत्रीय प्रतिबंध के साथ क्रमांक 6 पर अंकित है। गोंड जाति को इन 13 जिलों को छोड़ कर उत्तर प्रदेश के शेष जनपदों में अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखा जाता है। नवसृजित जिलों–कुशीनगर, चंदौली, संतकबीरनगर तथा रविदासनगर में उपरोक्त समुदायों को अनुसूचित जनजाति / कार्य मंत्रालय को दिनाँक 21.03.2018 को भेज चुका है। प्रकरण पर आगे की कार्यवाई जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा की जाएगी।

दिनाँक 18.07.2018 की बैठक में विस्तृत विचार विमर्श के बाद, आयोग ने निश्चित किया कि इस प्रकरण पर उत्तर प्रदेश सरकार के सचिव, राजस्व विभाग, सचिव, समाज कल्याण विभाग एवं संबंधित जिला अधिकारियों के साथ लखनऊ में बैठक की जाए। जिससे राज्य में निवासरत अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के द्वारा अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र प्राप्त करने में आ रही कठिनाइयों का निराकरण किया जा सके।

उपरोक्त बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, आयोग ने लखनऊ में संबंधित अधिकारियों के साथ दिनाँक 29.11.2018 को राज्य में निवासरत अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के द्वारा अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में आ रही कठिनाईयों का निराकरण करने हेतु बैठक आयोजित की।

आयोग ने उपस्थित अभ्यावेदकों से अपनी समस्याऐं / पक्ष रखने को कहा। श्री अरविंद गोंड ने, जिला मऊ, तहसील मधुबन में अर्चना गोंड को जिला प्रशासन द्वारा अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र न जारी करने की तरफ ध्यान आकर्षित किया। इसके अलावा अन्य आवेदकों ने कुशीनगर, चंदौली एवं बलिया जिला प्रशासन द्वारा संबंधित जिलों में निवासरत गोंड समुदाय के लोगों को अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी / सत्यापन हेतु अनावश्यक परेशान करने की ओर ध्यान आकर्षित किया। आवेदकों ने विस्तार में अवगत कराते हुए कहा कि जिलों में लेखपाल तथा तहसीलदार अपने मनमानीपूर्ण रवैया अपनाते है जिसके कारण उनका तथा उनके बच्चों को अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी नहीं हो रहा है / निरस्त किए जा रहें हैं।

Nand Kumar Sai
Chairperson
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India
New Delhi

माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार से अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी/ सत्यापन करने हेतु अपनायी जा रही प्रक्रिया पर प्रकाश डालने को कहा। प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग ने अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश राज्य में अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी तथा उनके संबंध में जाँच हेतु त्रि–स्तरीय समितियाँ/फोरम कार्यरत है:– (1) जिला स्तर पर, जिला अधिकारी की अध्यक्षता में (2) मण्डल स्तर पर मण्डल आयुक्त की अध्यक्षता में तथा (3) राज्य स्तर पर प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग की अध्यक्षता में गठित है। अभ्यावेदकों द्वारा दिए गए कथन पर उन्होंने कहा कि अभ्यावेदक उनसे जाति प्रमाण पत्र जारी करने / सत्यापन के संबंध में कभी भी मिल सकते है। उन्होंने बैठक में उपस्थित जिला अधिकारियों तथा उनके प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वह 'गोंड' जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति/ अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर हो रही कठिनाईयों के निराकरण पर की गयी/ की जाने वाली कार्रवाई के बारे में आयोग को अवगत करायें।

जिला अधिकारी, मऊ ने अवगत कराया कि श्री अरविन्द गोंड द्वारा उठाए गए प्रकरण पर उन्होंने अपनी रिपोर्ट संबंधित विभाग को भेज दी है तथा अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने एवं सत्यापन के प्रकरणों पर स्वयं कार्रवाई कर रहें है। लेखपालों एवं तहसीलदारों को इस विषय पर समय–समय पर मार्गदर्शन किया जाता रहा है और किया जाएगा।

जिला अधिकारी, जिला–कुशीनगर के प्रतिनिधि ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार जिला में निवासरत गोंड जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी एवं सत्यापन किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को जिला प्रशासन द्वारा रिपोर्ट पर आपत्ति है तो वह मण्डल स्तरीय समिति में अपना पक्ष रख सकता है। जिला प्रशासन अनुसूचित जनजातियों / अनुसूचित जातियों के व्यक्यिों के प्रति पूर्ण सहानुभूति के साथ कार्य कर रहा है और करेगा।

बैठक में उपस्थित आवेदकों ने, जिला अधिकारी, जिला–बलिया के आदेश के बावजूद जिला–बलिया, तहसील बेल्थरा की भारती गोंड तथा श्रीमती शैल देवी, (पत्नी–श्री अनिल कुमार गोंड), निवासी–खोड़ी पाकड़, थाना–फेफना, जिला–बलिया को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है के प्रकरणों को, जिला अधिकारी, जिला–बलिया के सामने रखा। जिला अधिकारी, जिला–बलिया ने आश्वासन दिया कि वह स्वयं इन प्रकरणों को देखेंगे तथा आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित अधिकारी को शीघ्र जारी करेंगें।

Nand Kumar Sai
Chairperson
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India
New Delhi

आवेदकों ने जिला चंदौली में निवासरत गोंड जाति के लोगों का अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र निरस्त करने एवं जाति प्रमाण पत्र न जारी करने का मामला उठाया। जिला अधिकारी चंदौली के प्रतिनिधि, एस. डी. एम. चंदौली ने अवगत कराया कि इस प्रकरण पर जिला प्रशासन सतर्कता के साथ कार्य कर रहा है यदि किसी व्यक्ति को कठिनाई है तो वह जिला अधिकारी महोदय को या स्वयं उन्हें किसी भी कार्य दिवस में मिल सकता है।

माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने बैठक में उपस्थित राज्य प्रशासन के अधिकारियों एवं जिला अधिकारियों से आयोग में लंबित निम्न प्रकरणों पर शीघ्र कार्रवाई करने का अनुरोध किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदया ने यह भी बताया कि नवसृजित जिलों–कुशीनगर, चंदौली, संतकबीरनगर तथा रविदासनगर में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गोंड एवं उनके समानार्थी समुदायों को राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने हेतु आयोग ने अपनी अनुशंसा जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को दिनाँक 21.03.2018 को भेज दी है। प्रकरण पर आगे की कार्रवाई जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा की जा रही है।

(क) **File No. FCG/14/2018/STGUP/SEOTH/RU-I**

श्री फूलचन्द गोंड, ग्राम–कुशिया, तहसील–कैराकट, जिला–जौनपुर द्वारा आयोग को दिनाँक 27.05.2018 का आवेदन देकर अवगत कराया कि जौनपुर जिले में आठ लोगों का अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र नहीं बनाया जा रहा है जबकि वह संबंधित अधिकारी को अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए सभी दस्तावेज जैसे स्थानांतरण प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर, राजस्व अभिलेख तथा पूर्व जिला कलेक्टर द्वारा 12.09.2005 को प्रार्थी के पक्ष में जारी आदेश की प्रति संलग्न करते हुए आवेदन दिया था। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने जिला अधिकारी, जिला–जौनपुर को समसंख्यक नोटिस दिनाँक 22.06.2018 द्वारा सूचना मांगी थी। जिसका उत्तर/सूचना आयोग को प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) **File No. SK/15/2018/STGUP/SEOTH/RU-I**

श्री सुजल खरवार/सोना खरवार, जापलिनगंज बेदुवा, जिला–बलिया द्वारा आयोग को दिनाँक 26.06.2018 का आवेदन देकर अवगत कराया कि उनके जिले में खरवार अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाया जा रहा है जबकि वह संबंधित अधिकारी को प्रमाण पत्र बनाने के लिए सभी दस्तावेज संलग्न करने हुए आवेदन दिया था। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने जिला अधिकारी, जिला–बलिया एवं तहसीलदार बलिया को समसंख्यक नोटिस दिनाँक 26.06.2018 द्वारा सूचना मांगी थी। जिसका उत्तर/सूचना आयोग को प्राप्त नहीं हुई है।

Nand Kumar Sai
Chairperson
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India
New Delhi

(ग) **File No. MS/11/2018/STGUP/SEOTH/RU-I**

श्री मनोज शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऑल गोंडवाना स्टूडेंटस एसोसिएशन, ग्राम–बरवा, पोस्ट–करनई, जिला–बलिया ने आवेदन दिनाँक 06.03.2018 द्वारा आयोग को अवगत कराया कि जिले में गोंड जाति का अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र नहीं बनाया जा रहा है। जबकि पहले जिला–बलिया में बनाया जाता रहा है अब अधिकारियों द्वारा गोंड एवं गोड के वर्तनी के अन्तर के आधार पर अब नहीं बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार तथा जिला अधिकारी, जिला–बलिया को समसंख्यक नोटिस दिनाँक 15.03.2018 द्वारा तथ्य एवं सूचना मांगी थी। जिसका उत्तर/सूचना आयोग को प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) **File No. SK/3/2018/STGUP/SEOTH/RU-I**

श्री सत्येन्द्र कुमार, ग्राम ताहिरपुर, पोस्ट सरुपहा, लालगंज, जिला–आजमगढ़ ने आवेदन दिनाँक 15.02.2018 द्वारा आयोग को अवगत कराया कि उनका गोंड जाति का अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाया जा रहा है जबकि वर्ष 2005 एवं 2016 में बनाया गया था। अधिकारियों द्वारा मनमाने तरीके से कभी अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र बनाया जाता है और कभी निरस्त कर दिया जाता है। इस संबंध में संबंधित अधिकारी को अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए सभी दस्तावेज जैसे स्कूल प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर एवं राजस्व अभिलेख प्रस्तुत कर चूके है परन्तु अब प्रमाण पत्र नहीं बनाया गया है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने जिला आधिकारी, जिला आजमगढ़ से तथ्य एवं सूचना मांगी थी जिसके जवाब में यह सूचित किया गया कि उप–जिला अधिकारी लालगंज द्वारा जाँच करायी गयी जिसमें यह बताया गया कि आवेदक 'कहार' जाति से संबंधित है इसलिए उनका अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र नहीं बनाया जा सकता। आवेदक के दस्तावेजों में गोंड जाति अंकित है तब किस आधार पर उसे कहार जाति का साबित कर प्रमाण पत्र नहीं बनाया जा रहा है और बनाया हुआ प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया है यह अत्यन्त असंतोषजनक जवाब है। आयोग इस प्रकरण पर पुनः जाँच करने की अनुशंसा करता है।

Nand Kumar Sai
Chairperson
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India
New Delhi

पृष्ठांकित बिन्दुओं के अलावा, जिला अधिकारी, जिला–चंदौली के प्रतिनिधि से, आयोग में आयोजित बैठक दिनाँक 12.04.2018 (केस न. GCG/7/2017/STGUP/SEOTH/RU-I) में की गई अनुशंसाओं पर की गयी / की जाने वाली कार्रवाई की सूचना उपलब्ध कराने को कहा गया।

उपरोक्त प्रकरण पर प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, विशेष सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार जिला अधिकारी, जिला–मऊ, जिला अधिकारी, जिला–बलिया एवं जिला अधिकारी, जिला–चंदौली तथा जिला आधिकारी, जिला–कुशीनगर के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श के उपरान्त, आयोग निम्न बिन्दुओं पर राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई करने की अनुशंसा की।

(I) जिला स्तरीय जाँच समिति की आख्या के विरुद्ध, आवेदक को मण्डल स्तरीय एवं राज्य स्तरीय समितियों में आवेदन करें।

(II) सभी जाँच समितियों को निर्धारित समय के अन्दर कार्य करने पर बल देना चाहिए जिससे अनुसूचित जनजातियों के भोलेभाले व्यक्तियों को कठिनाईयों का सामना नहीं करना पड़ेगा।

(III) लेखपाल, अन्य संबंधित अधिकारी एवं तहसीलदार को अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी / सत्यापन करने हेतु प्रशिक्षण दिया जाए।

(IV) संत कबीर नगर, कुशीनगर, चंदौली एवं संत रविदासनगर नवसृजित जिलों में गोंड जाति के व्यक्तियों को जारी जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन, सावधानी एवं सतर्कता के साथ किया जाना चाहिए जिससे वह अनुसूचित जाति के आरक्षण की सुविधा से वंचित न हो।

(V) जिन जिलों में गोंड जाति के लोग अनुसूचित जनजाति के वर्ग में शामिल किए गए है वह सभी जिला अधिकारी, उनके जाति प्रमाण पत्र जारी करने एवं सत्यापन की शिकायत निवारण हेतु महीने में एक दिन निश्चित करें जिसकी सूचना स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करें तथा अन्य दूसरे माध्यम से प्रसारित करें।

(VI) लेखपाल एवं तहसीलदार को अनुसूचित जनजातियों के प्रति सहानुभूतिपूर्वक / संवेदनशीलता के साथ कार्य करने की सलाह दी जाए।

(VII) जाति प्रमाण पत्र जारी करने के विषय से संबंधित अधिकारी के विरुद्ध यदि तीन बार से अधिक शिकायत प्राप्त होती है तो उस पर जाँच की जाए और यदि दोषी पाया जाए तो उसका स्थानातरण तुरंत कर दिया जाए।

Nand Kumar Sai 31.12
Chairperson
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India
New Delhi

अनुबंध

(F. No. Tour Report/12/VC(UP)/2018/RU-I Date of sitting 29/11/2018 at 1500 Hours in Lucknow, Uttar Pradesh)

उत्तर प्रदेश राज्य के कुशीनगर, चंदौली, मऊ, बलिया तथा अन्य जिलों में अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र बनाने के लिए अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है के संबंध में अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश राज्य के संबंधित अधिकारियों के साथ विचार विमर्श।

प्रतिभागियों की सूची

क्रम संख्या	नाम और पद	
I	**राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग**	
1.	श्री नन्द कुमार साय,माननीय अध्यक्ष	(अध्यक्षता में)
2.	कुमारी अनुसुईया उइके, माननीय उपाध्यक्ष	
3	श्री एच.के.डामोर,माननीय सदस्य	
4.	श्री हर्षदभाई वसावा,माननीय सदस्य	
5.	श्री शिशिर कुमार रथ,संयुक्त सचिव	
6.	डॉक्टर ललित लट्टा, निदेशक	
7.	श्री राजेश्वर कुमार,सहायक निदेशक	
8.	श्री आर.एस.मिश्रा,वरिष्ठ अन्वेषक	
II	**मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार**	

III **सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार**

1. श्री धीरज पांडे, विशेष सचिव

IV **प्रमुख सचिव समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार**

1. श्री मनोज सिंह

V **जिला अधिकारी, जिला – चंदौली**

1. श्री अभय कुमार मिश्रा, एस डी एम, चंदौली

VI **जिला अधिकारी, जिला – कुशीनगर**

1 श्री अभिषेक पांडे, जे एम, कासिया

2 श्री आर के सिंह

VII **जिला अधिकारी, जिला – मऊ**

1. श्री प्रकाश बिन्दु

VIII जिला अधिकारी, जिला – बलिया

1 श्री भवानी सिंह खंगरोट

IX **अभ्यावेदक**

1. श्री अरविंद कुमार गोंड (बलिया), श्री अमरजीत कुमार गोंड (बलिया), श्री अरविंद गोंडवाना (बलिया), श्री हीरालाल प्रसाद (कुशीनगर), श्री शारदा प्रसाद गोंड (मऊ) एवं श्री कन्हैया लाल (चंदौली)